

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (ए.डी.ओ) बाड़मेर  
बीदासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह माटी, आर.ए.ए.

क्रमांक रीडर/2022/ 2005

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 25.7.2022

अप्रार्थीगण

1 गोर्धनराम 2 शोभाराम 3 सुखराम  
पिसरान उमाराम 4 सुखराम 5 सदराम  
6 जगुराम 7 शंकरलाल 8 तुलछाराम 9  
बाबुलाल पिसरान जगराम 10 माली  
पत्नी जगराम 11 दुर्गराम 12 सताराम  
13 लिछमणाराम पिसरान चुनाराम 14  
जीयो पत्नी चुनाराम 15 गोमाराम पुत्र  
राउराम जाति सुथार निवासी  
किशानाणियों का तला बाड़मेर गादान  
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 टीकमपुरी पुत्र फुआपुरी 2 डुंगरपुरी पुत्र  
पनाराम 3 पुनमपुरी पुत्र जवारपुरी 4 टीकमपुरी  
पुत्र विरध भारती जाति गोस्वामी 5 हरखाराम  
पुत्र ईन्दाराम जाति जाट निवासी किशानाणियों  
का तला बाड़मेर गादान 6 भूरसिंह पुत्र  
बींजराजसिंह निवासी भोमासर 7 लिछमणाराम  
पुत्र किशनाराम 8 अम्मेदाराम पुत्र सताराम 9  
हडुमानराम पुत्र मेहराराम 10 पदमाराम 11  
रूपाराम पिसरान सताराम निवासी किशानाणियों  
का तला बाड़मेर गादान तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 26/2022

दिनांक- 11.7.22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा किशानाणियों का तला पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला  
बाड़मेर के खसरा संख्या 132 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 661/131 रकबा 08.05 बीघा,  
खसरा संख्या 662/131 रकबा 16.05 बीघा, खसरा संख्या 663/131 रकबा 16.05 बीघा,  
खसरा संख्या 664/131 रकबा 26.01 बीघा, खसरा संख्या 665/131 रकबा 16.05 बीघा,  
खसरा संख्या 666/131 रकबा 81.05 बीघा, खसरा संख्या 667/131 रकबा 27.02 बीघा,  
खसरा संख्या 668/131 रकबा 27.02 बीघा, खसरा संख्या 669/131 रकबा 27.02 बीघा,  
खसरा संख्या 677/131 रकबा 04.00 बीघा व खसरा संख्या 676/131 रकबा 04.00 बीघा  
भूमिके चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को  
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन  
व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर  
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार  
पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह माटी)


उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 25.7.2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 2006-09

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गोर्धनराम पुत्र उमाराम वगैराह जाति राजपुरोहित किशानाणियों का तला बाड़मेर गादान  
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी टीकमपुरी पुत्र फुआपुरी वगैराह जाति गोस्वामी किशानाणियों का तला बाड़मेर गादान  
तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर